

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, अक्तूबर 25—अक्तूबर 31, 2015, शनिवार/कार्तिक 3—कार्तिक 9, 1937

No. 42] NEW DELHI, OCTOBER 25—OCTOBER 31, 2015, SATURDAY/KARTIKA 3—KARTIKA 9, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 201 .—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1973, को जहां तक उसका संबंध इलैक्ट्रीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में इलैक्ट्रीशियन के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, (इलैक्ट्रीशियन) (समूह 'ग'पद) भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4463GI/2015 (1459)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted composition in making recruitment. (12)(13)Group 'C' Departmental Promotion Committee Not applicable. (for considering confirmation) consisting of: Director (Headquarters), Directorate —Chairman General of Health Services 2. Deputy Director (General) Directorate -Member General of Health Services Deputy Director (Administration), -Member Directorate General of Health Services Under Secretary, Ministry of Health -Member

[F. No. A.- 12018/02/2011-Admn.II/Estt.III]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 203 .—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अनुसंध ान संस्थान, कसौली (समूह 'घ'पद) भर्ती नियम, 1982, को जहां तक उनका संबंध बढ़ई के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में बढ़ई के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में बढई (समृह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - **4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

and Family Welfare

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज़ेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बढ़ई	7* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	•	लागू नहीं होत	ा 18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थिय के लिए विहित की गई हैं।)
					टिष्ण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वार्ल भर्ती अभ्यर्थियों की दशा में आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगा कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)		(8)		(9)	
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैटिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण		लागू नहीं होता		दो वर्ष	
` ,	न्यताप्राप्त आद्यागक प्राशिक्षण ल्य संस्थान से बढ़ई व्यवसा				

(7)

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10) (11)

सीधी भर्ती द्वारा लागू नहीं होता

टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।

यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12) (13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलखित होंगे :

 उप निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, —अध्यक्ष कसौली लागू नहीं होता

(12)

- 2. सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, —सदस्य कसौली
- 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान —सदस्य संस्थान, कसौली
- 4. कमान अधिकारी, मिलिटरी अस्पताल, —सदस्य कसौली या उसके प्रतिनिधि

[फा. सं. ए-12018/04/2014-ईपीआई]

सुनील कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2015

- **G.S.R. 203** .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1982, insofar as they relate to the post of Carpenter, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Carpenter, in the Central Research Institute, Kasauli in the Ministry of Health and Family Welfare namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Carpenter (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Carpenter	7* (2015) *Subject to variation dependent on the workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 with grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years Note 1: The crucial date for determining the age limit shal be the closing date for receip of application and not the closing date prescribed fo those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division o Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division o Chamba District of Himacha Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: In the case o recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the las date up to which the Employment Exchange is asked to submit names.
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational Period of probat qualifications prescribed for if any direct recruits will apply in the case of promotees		
(7)			(8)		(9)
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; and(ii) Certificate in Carpentry trade from a			Not	applicable	Two years
recognised Induequivalent.	ıstrial Trainin	g Institute or			
Note 1: Qualification of the or Competent Au otherwise well qualification.	e Staff Selecti uthority in cas	on Commission			

(7)

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates with the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(10) (11)

By direct recruitment.

Not applicable

Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.

- (a) holding analogous post on regular basis ; and
- (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

Not applicable

(12) (13)

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:

Deputy Director, Central Research Institute, Kasuli —Chairman

2. Assistant Director, Central Research

--Member

Institute, Kasuli

—Member

3. Administration Officer, Central Research Institute, Kasuli

—Member

4. Commanding Officer, Military
Hospital Kasauli or his representative.

—Membe

[F. No. A.-12018/04/2014-EPI]

SUNIL KUMAR, Under Secy.